फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 32/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/34) **श्री चम्पालाल जाट बनाम श्री नारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08.01.2025	उपस्थिति दौराने बहसः- 1. श्री सुरेश चन्द्र शर्मा - वकील अपीलार्थी 2. श्री पी.सी.पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-1, 2, 4 व 5 3. राजकीय पेरोकार श्री मुरलीधर पालीवाल - वकील प्रत्यर्थी-6 **अनवान** **1. श्री चम्पालाल पिता श्री छोगालाल जाट, निवासी जाट मोहल्ला भटवड़ा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **अपीलार्थी** **बनाम** **1. श्री नारायण पिता श्री बालु जाट, निवासी भटवड़ा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **2. श्रीमती झूमाबाई पत्नि श्री बालु जाट, निवासी भटवड़ा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **3. श्री रतन पिता श्री श्री बालु जाट, निवासी भटवड़ा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **4. श्री उदयराम पिता श्री जयकिशन जाट, निवासी भटवड़ा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **5. श्रीमती मेहताबी पुत्री श्री जयकिशन जाट, निवासी भटवड़ा कला, तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **6. भुमिधारी तहसीलदार, गंगरार तहसील गंगरार, जिला चित्तौड़गढ़।** **प्रत्यर्थी** **अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, गंगरार, बप्रकरण संख्या 31/2016 निर्णय दिनांक 04.10.2021 (अनवान नारायण बनाम रतन जाट व अन्य)** **<u>निर्णय</u>** दिनांक 08.01.2025 उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय तहसीलदार, गंगरार, बप्रकरण संख्या 31/2016 निर्णय दिनांक 04.10.2021 (अनवान नारायण बनाम रतन जाट व अन्य) के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री नारायण जाट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार समक्ष प्रस्तुत कर कथन किया कि स्व.श्री हीरा पिता श्री नानु जाट निवासी भटवाड़ा कतला का दिनांक 14.11.1995 को देहान्त हो चुका है, जिसके खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भटवाड़ा कला पटवार हल्का बोरदा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसके आराजी संख्या 1403 से 1413 है। श्री नारायण जाट मृतक हीरा पिता नानु जाट के भाई बालू का पुत्र होकर एक ही परिवार से है तथा मृतक हीरा पिता श्री नानु जाट के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 32/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/34) **श्री चम्पालाल जाट बनाम श्री नारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

कोई जायन्दा पुत्र पुत्री आदि नहीं है। श्री हीरा की पत्नि का भी देहान्त हो चुका है, जिससे श्री हीरा द्वारा श्री नारायण जाट को सभी सामाजिक रितिरिवाज से गोद लिया और एक अनरजिस्टर्ड गोदनामा भी लिखा गया, जिससे वह श्री हीरा का एक मात्र उत्तराधिकारी होकर एक मात्र वारिस है। अतः मृतक श्री हीरा की विरासत का इन्तकाल गोदपुत्र की हैसियत से श्री नारायण जाट के नाम स्वीकृत किया जावें।

- तहसीलदार, गंगरार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प बोरदा में पत्रावली रखी जाकर अपने निर्णय दिनांक 04.10.2021 से मृतक हीरा जाट की कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी संख्या 2076 के खाता संख्या 10 में वर्णित आराजी संख्या 1403 से 1410 व 1413 का 1/4 हिस्सा एवं 1411, 1412 का 1/6 हिस्सा गोदपुत्र की हैसियत से श्री नारायण जाट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया गया।

उक्त निर्णय दिनांक 04.10.2021 से व्यथीत होकर अपीलार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर में अपील दिनांक 03.05.2023 को मयाद बाहर प्रस्तुत की गई। अपील के साथ अपीलार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस् को जरिये नोटिस सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया।

दिनांक 19.12.2024 को अधिवक्ता अपीलार्थी, अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 का जुनियर एवं राजकीय पेरोकार उपस्थित। अधिवक्ता अपीलार्थी एवं राजकीय पेरोकार की बहस सुनी गई। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा लिखित बहस दिनांक 23.10.2024 को पेशशुदा। अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 को दिनांक 23.12.2024 तक लिखित बहस पेश करने का अवसर दिया गया परन्तु उनके द्वारा बहस हेतु अवसर चाहने पर दिनांक 03.01.2025 को अपीलार्थी के अधिवक्ता व राजकीय पेरोकार के साथ विस्तृत बहस सुनी गई। प्रत्यर्थी संख्या 4 व 5 की ओर से अपील पर जवाब पूर्व में पेशशुदा।

विद्वान वकील अपीलार्थी ने अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए लिखित एवं बहस में प्रस्तुत किया है कि अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रत्यर्थी-1 द्वारा झूठे तथ्यों के आधार पर आवेदन अन्तर्गत धारा-135(2) प्रस्तुत किया गया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक वारिसान के विरूद्ध जाकर केवल प्रत्यर्थी-1 के नाम पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने का एक अविधिक आदेश पारित किया। स्व. श्री हीरा द्वारा अपने जीवनकाल में कोई गोदनामा निष्पादित नहीं किया गया, न ही उनके जीवनकाल में गोद की कोई रस्म निभाई गई। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष एक अपंजीकृत गोदनामा दिनांक 25.04.1995 प्रस्तुत किया गया है, जो विवादित गोदनामा है। यह गोदनामा मृतक श्री हीरा की मृत्यु के बाद किया जाना बताया गया, उक्त लिखा पढ़ी मृतक द्वारा नहीं किया जाना बताया गया है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष प्रस्तुत गवाह द्वारा भी हीरा पिता नानुराम की मृत्यु के पश्चात गोद रखना

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 32/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/34) **श्री चम्पालाल जाट बनाम श्री नारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

बताया गया, जिससे स्पष्ट है कि मृतक हीरा ने अपने जीवनकाल में नारायण जाट को गोद नहीं रखा है। प्रावधित है कि मृतक व्यक्ति के लिये गोद नहीं लिया जा सकता है, न ही मृत व्यक्ति मृत्यु पश्चात गोद ले सकता है। गवाह हरलाल द्वारा समस्त लिखापढ़ी श्री हीरा की मृत्यु के बाद किया जाना अपने बयानों के बताया गया है। नियमित वाद द्वारा ही गोद की घोषणा की जा सकती है। धारा 133 व 135 में 132 के विपरित कृषक की मृत्यु हो जाने पर प्राकृतिक उत्तराधिकारियों की विरासत इंतकाल स्वीकृत किये जाने का प्रावधान है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राकृतिक वारिसान के विरूद्ध जाकर केवल श्री नारायण जाट के नाम नामान्तकरण का आदेश अवेधानिक तरिके के उपरोक्त तथ्यों को नजरअंदाज कर पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रशासन गावों के संग अभियान में रखा जाकर अपीलार्थी को बिना सुने पारित कर दिया गया, जिसकी सुचना अपीलार्थी को नहीं दी गई। उक्त निर्णय अपीलार्थी के परोक्ष पारित किया गया है। सहायक कलक्टर गंगरार द्वारा प्रकरण संख्या 330/1997 वादपत्र में तनकी संख्या 5 '' आया मृतक हिरा का वारिस नारायण होकर आराजी पर काबिज काश्त है'' विचरित की जो निर्णय दिनांक 23.03.2002 पर उक्त तनकी रेस्पोडेंट संख्या 1 नारायण, रेस्पोडेंट संख्या 2 झुमा व रेस्पोडेंट संख्या 3 रतन के खिलाफ पूर्व में निर्णित हो चुकी है, जिससे समक्ष न्यायालय द्वारा निर्णित बिन्दु को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णित करने का कोई अधिकार नहीं था। प्रावधित है कि एक त्रुटिपूर्ण निर्णय पर मयाद का बिन्दु लागु नहीं होता है। ऐसे में मयाद उपशमित किये जाने बाबत अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम का पेश किया गया है। अंत में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय निर्णय को अपास्त किये जाने का अनुरोध किया और उपरांकित आराजीयात का नामान्तरकरण अपील वर्णित वारिसान के नाम किये जाने का आदेश प्रदान करावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत पेश किये-

1. 2009(1) आरआरटी 467
2. 2001(2) आरआरटी 969
3. 2002(1) आरआरटी 269
4. 2005(1) आरआरटी 588
5. 2017(2) आरआरटी 986
6. 2009(1) आरआरटी 381
7. 2003(1) आरआरटी 276
8. 2002(1) आरआरटी 648

प्रत्यर्थी-1, 2, 4 व 5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अधिवक्ता अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत कथनों के खण्डन में प्रस्तुत किया कि स्व.श्री हीरा पिता श्री नानु जाट निवासी भटवाड़ा कतला का दिनांक 14.11.1995 को देहान्त हो चुका है, जिसके खातेदारी की कृषि भूमि ग्राम भटवाड़ा कला पटवार हल्का बोरदा तहसील गंगरार जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जिसके आराजी संख्या 1403 से 1413 है। श्री नारायण जाट मृतक हीरा पिता नानु जाट के भाई बालू का पुत्र होकर एक ही

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 32/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/34) **श्री चम्पालाल जाट बनाम श्री नारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

परिवार से है तथा मृतक हीरा पिता श्री नानु जाट के कोई जायन्दा पुत्र पुत्री आदि नहीं है। श्री हीरा की पत्नि का भी देहान्त हो चुका है, जिससे श्री हीरा द्वारा श्री नारायण जाट को सभी सामाजिक रितिरिवाज से गोद लिया और एक अनरजिस्टर्ड गोदनामा भी लिखा गया, जिससे वह श्री हीरा का एक मात्र उत्तराधिकारी होकर एक मात्र वारिस है। अतः मृतक श्री हीरा की विरासत का इन्तकाल गोदपुत्र की हैसियत से श्री नारायण जाट के नाम स्वीकृत किये जाने बाबत अधीनस्थ न्यायालय समक्ष आवेदन किया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश प्रत्यर्थी-1 के पक्ष में पारित किया जो पूर्णतयाः विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत करने में कोई त्रुटि कारित नहीं की गई। नामान्तरकरण आदेश से पूर्व संबंधित गवाहान के बयान दर्ज किये गये और सकारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त गोदनामा पर अपीलार्थी एवं अन्य वारिसान के हस्ताक्षर अंकित है, जिससे वह गोदनामा के तथ्य के इन्कार नहीं कर सकते है, इस पर विबन्धन का सिद्वान्त लागु होता है। इसके अतिरिक्त प्रस्तुत अपील मयाद बाधित है। प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम में अंकित कारण संतोषप्रद एवं पर्याप्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय समक्ष अपीलार्थी बाद जानकारी उपस्थित नहीं हुए जिसका अंकन निर्णय में किया गया है। ऐसे में अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को यथावत रखा जावें। अपने कथनों के समर्थन में अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 व 2 द्वारा निम्नांकित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये गयेः-

1. आरआरडी 1991 पेज 422
2. 1972 सुप्रीम टूडे पेज 444
3. एआईआर 2000 राज पेज 70
4. आरएलआर 2002(1) पेज 751
5. 1993 सुप्रीम टूडे पेज 1014
6. आरआरटी 2021(1) पेज 253
7. आरआरटी 2021(1) पेज 897
8. एआईआर 1988 एससी पेज 54 हेडनोट सी
9. आरबीजे 2007 एससी पेज 438
10. आरआरटी 2010(2) पेज 801
11. आरआरटी 2011(2) पेज 861

प्रत्यर्थी-6 की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता राजकीय पेरोकार द्वारा गुणावगुण के आधार पर अपील निस्तारित किये जाने का अनुरोध किया।

हमने उपस्थित अधिवक्तागण की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली व अधीनस्थ पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन एवं परिशीलन किया गया।

जैसा की उपरोक्त पेरा में अंकित किया गया है कि अपीलार्थी द्वारा अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा-5 मयाद अधिनियम मय शपथ पत्र प्रस्तुत की, जिस पर निर्णय आरक्षित रखते हुए हस्तगत अपील दर्ज रजिस्टर की गई। अपीलार्थी द्वारा देरी का प्रमुख कारण अपीलाधीन निर्णय पारित किये जाने से पूर्व उन्हें लोक

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 32/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/34) **श्री चम्पालाल जाट बनाम श्री नारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

अदालत कोई नोटिस जारी नहीं किया जाना, मिथ्या तामिल होना और न ही उसे सुना जाना बताया है। इसके विपरित अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1 द्वारा अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को ससमय होना बताया गया। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है कि अगर प्रकरण गुणावगुण पर मजबुत होता है तो उसे केवल मयाद के आधार पर निर्णित नहीं कर गुणावगुण पर निर्णित करना चाहिये, जिससें यह प्रावधित किया गया है कि-

> Limitation Act, 1963, S.5 – Dismissal of Appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case – Legality of – Held, now must be taken as well as settled principle of law that before rejecting application u/s.5, and dismissing appeal as time barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeals and unless appeals are found be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits.

यहा अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1991 पेज 440 में पारित निर्णय में प्रतिपादित सिद्वान्त का हवाला दिया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है-

> (c) Limitation Act, Section 3 – Order passed behind the back of the petitioner and without notice to him – Revision is not barred by limitation.

चुंकि प्रकरण में प्रथम दृष्टया आलौच्य आदेश से अपीलार्थी के हित प्रभावित होते है। अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया गया है और न ही उसे कोई नोटिस जारी किया जाना पाया गया, ऐसी स्थिति में उसके हितों पर कुठारघात होने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसलिए प्रकरण में प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तानुसार मयाद का उपशमन किया जाकर गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित है। परिसीमा नियमों का यह अभिप्राय यह है कि पक्षकारों के अधिकारों को नष्ट नहीं करे। वे यह देखने के लिये अभिप्रेरित है कि पक्षकार विलम्बकारी चालों का सहारा न ले अपितु शीघ्रता से अपना उपचार मागें। विचार विमर्श के परिणाम स्वरूप परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा-5 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र गुणवत्ता के आधार पर स्वीकार किया जाता है और अपील को समयावधि में मानकर अपील का गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है कि वर्तमान अपील की प्रत्यर्थी-1 श्री नारायण जाट द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-135(2) का अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार समक्ष प्रस्तुत किया। तहसीलदार, गंगरार द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 केम्प बोरदा में पत्रावली रखी जाकर अपने निर्णय दिनांक 04.10.2021 से मृतक हीरा जाट की कृषि भूमि के वर्तमान जमाबंदी संख्या 2076 के खाता संख्या 10 में वर्णित आराजी संख्या 1403 से 1410 व 1413 का 1/4 हिस्सा एवं 1411, 1412 का 1/6 हिस्सा गोदपुत्र की हैसियत से श्री नारायण जाट के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने का आदेश दिया गया। उक्त निर्णय दिनांक 04.10.2021 से व्यथित होकर हस्तगत अपील प्रस्तुत की

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 32/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/34) **श्री चम्पालाल जाट बनाम श्री नारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

गई।

हस्तगत प्रकरण में विवाद का प्रमुख बिन्दु अपंजीकृत कथित गोदनामा है, जिसके पक्ष में अधिवक्ता प्रत्यथी-1 के उक्तानुसार कथन प्रस्तुत किये, जबकि अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा उक्त अपंजीकृत कथित गोदनामा को मृतक हीरा की मृत्यु उपरान्त निष्पादित किया जाना बताया एवं विवादित होना बताकर उक्तानुसार कथन प्रस्तुत किये गये। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन से यह पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार द्वारा कई व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये। उक्त बयानों में उक्त गोद की रस्म मृतक हीरा की मृत्यु उपरान्त निष्पादित किये जाने का कथन किया गया है। यही कथन प्रत्यर्थी-4 व 5 द्वारा अपील प्रस्तुत जवाब में प्रस्तुत किये जो अंपजीकृत कथित गोदनामा का विवादित होना प्रकट करता है। यह प्रकट करता है कि यह गोदनामा मृतक श्री हीरा के जीवनकाल में निष्पादित नहीं किया गया। हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 के तहत कोई भी दत्तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक देने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो। इसके अतिरिक्त किसी भी हिन्दु पुरूष को जो कि स्वस्थचित्त हो और अप्राप्तवय न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही मृतक खातेदार श्री हीरा की मृत्यु उपरान्त होना दर्शित होता है जो विधि मान्य नहीं है।

उक्त प्रकरण में पटवारी हल्का की रिपोर्ट दिनांक 10.02.2021 में पटवारी हल्का द्वारा मूल पुरूष श्री नानु जी का सजरा प्रस्तुत किया गया है, जिसमें श्री नानु के चार पुत्र श्री जयकिशन-फौत, छोगालाल, हीरा-लाऔलाद फौत, बालु एवं तीन पुत्रियां श्रीमती नोजी, प्यारी, सोसर (तीनों फौत) होने का अंकन है। श्री उदयराम व मेहताब श्री जयकिशन के वारिस, चम्पालाल श्री छोगालाल के वारिस, नारायण व रतनलाल श्री बालू के वारिस होना अंकन किया गया है, जो प्रकरण में पक्षकार संयोजित है।

विभिन्न प्रकरणों में उच्च स्तरीय न्यायालयों द्वारा बार बार यह प्रतिपादित किया गया है कि जब किसी अपंजीकृत गोदनामा से प्राकृतिक वारिसान को विरासत से वंचित किया जाता है तो ऐसी अंपजीकृत दस्तावेज प्रथम दृष्टया संदिग्ध परिस्थितियों से घिरी हुई मानी जाती है जिसे भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1925 की धारा 63 अनुसार सदभावी व संदेह से परे (genuine and free from suspicion) सिद्ध करने का दायित्व गोदनामा के लाभार्थी का है। ऐसे दस्तावेज को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के अनुसार संदेह से परे साबित करना आवश्यक है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह सम्भव नहीं है। इसके लिये गोदनामा के लाभार्थी को सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करके अधिकार घोषणा करानी होगी।

जहां गोदपुत्र और प्राकृतिक वारिसान में विवाद हो, वहां पर कथित अपंजीकृत गोदनामा के आधार पर नामान्तरकरण स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। गोद के संबंध में प्रत्यर्थी-1 को साबित करना होगा कि वह वाकई कानूनन गोदपुत्र

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 32/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/34) **श्री चम्पालाल जाट बनाम श्री नारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	बन सकता है या कानूनन गोदपुत्र है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक प्रत्यर्थी-1 को मृतक हीरा की आराजी पर कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। इस मामलें में हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम भी लागु होता है। नियम 135 के तहत केवल उत्तराधिकार पर ही संबंधित ग्राम पंचायत/तहसीलदार इन्तकाल स्वीकृत कर सकते है। प्राकृतिक उत्तराधिकार के अलावा कोई गोदपत्र के आधार पर अपने नाम से मृतक की भूमि का विरासत इन्तकाल करवाना चाहता है तो उसके लिए नियमित वाद किया जाना आवश्यक है जिससे प्राकृतिक उत्तराधिकारियो को समुचित अवसर प्रदान किया जाकर साक्ष्य एवं सबुत के आधार पर गोद के बिन्दु को निर्णित किया जा सके। प्रावधित है कि नामान्तरकरण कोई हित या स्वामित्व उत्पन्न नहीं करती है। नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में उत्तराधिकार का जटिल प्रश्न, वसीयत या गोद के जटिल विवाद्यक का विनिश्चय किया जाना संभव नहीं है। स्वामित्व व स्वत्व की घोषणा घोषणात्मक वाद में ही की जा सकती है। अतः स्वामित्व स्थापित करने के लिये प्रत्यर्थी-1 को सक्षम न्यायालय में घोषणा का दावा करना चाहिये। उपरोक्त विवेचन एवं न्यायिक दृष्टांतों के परिपेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन करने पर यह स्थिति उभरकर सामने आती है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार द्वारा कई व्यक्तियों के बयान दर्ज किये गये। उक्त बयानों में उक्त गोद की रस्म मृतक हीरा की मृत्यु उपरान्त निष्पादित किये जाने का कथन किया गया है। यही कथन प्रत्यर्थी-4 व 5 द्वारा पूर्व में अपील प्रस्तुत जवाब दिनांक 06.09.2023 में प्रस्तुत किये जो अंपजीकृत कथित गोदनामा का विवादित होना प्रकट करता है। यह प्रकट करता है कि यह गोदनामा मृतक श्री हीरा के जीवनकाल में निष्पादित नहीं किया गया। हिन्दु दत्तक तथा भरण पोषण अधिनियम, 1956 के तहत कोई भी दत्तक विधि मान्य नहीं होगा जब तक कि दत्तक लेने वाला व्यक्ति दत्तक देने की सामर्थ्य और अधिकार न रखता हो। इसके अतिरिक्त किसी भी हिन्दु पुरूष को जो कि स्वस्थचित्त हो और अप्राप्तवय न हो यह सामर्थ्य होगी कि वह पुत्र या पुत्री दत्तक ले। इस प्रकरण में समस्त कार्यवाही मृतक खातेदार श्री हीरा की मृत्यु उपरान्त होना दर्शित होता है जो विधि मान्य नहीं है। उपरोक्त तथ्य भी यह प्रमाणित करते है कि अंपजीकृत गोदनामा पूर्णतया संदेहजनक है, जब तक उसकी सदभाविकता को धारा 63 भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, 1925 के प्रावधान अनुसार साबित नहीं कर दिया जाता है, तब तक कथित गोदपुत्र को प्राकृतिक वारिसान के विरुद्ध कोई हक नहीं मिल सकता है और नामान्तरकरण की संक्षिप्त कार्यवाही में यह सम्भव नहीं है। अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण लागु होकर चस्पा होते है जबकि अधिवक्ता प्रत्यर्थी-1, 2, 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत प्रकरण में उक्त तथ्यों से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते है। उपरोक्त स्थिति में हमारी सुविचारित राय में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपरोक्त तथ्यात्मक एवं विधिक स्थिति को अनदेखा करते हुए एक त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है जो समर्थन योग्य नहीं है। परिणामतः **अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है** और अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, गंगरार का निर्णय दिनांक 04.10.2021 अपास्त किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण प्रतिप्रेषित कर	

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 32/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/34) **श्री चम्पालाल जाट बनाम श्री नारायण जाट व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्देशित किया जाता है कि वह मृतक हिरा के विधिक वारिसान की समुचित जांच कर प्राकृतिक वारिसान के नाम नियमानुसार नामान्तरकरण स्वीकृत करने की कार्यवाही करावें। पत्रावली फैसल शुमार हो। निर्णय की प्रति तहसीलदार, गंगरार को मय अभिलेख प्रेषित की जावें। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	